

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०पी०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

45 / 2018
24.05.2018

भेरू पुत्र छीतर जाति जाट निवासी रूपवास तहसील उनियारा हाल निवासी खलीलपुरा
पापडा तहसील व जिला टोंक राज०

बनाम

—अपीलान्ट

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 16.01.2018 मिसल नम्बर 526 / 2018

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2018 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1142,492 / 1244 रकबा 1.12 है० किस्म बजड / बारानी—3 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर गेहूँ / सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 448 / रू. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौक की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई गई है और ना ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलाट के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है।



जिला कलेक्टर
टोंक



अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रम होने बाबत कोई साक्ष्य-सबूत भी नहीं है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेट्रोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1142,492/1244 रकबा 1.12 है 0 किरम बजड/बारानी-3 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ/सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार बनेटा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेट्रोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्धीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की से पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1142,492/1244 रकबा 1.12 है 0 किरम बजड/बारानी-3 वाके ग्राम रूपवास तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.10.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। विवादित आराजी पर मेरा कभी कब्जा नहीं रहा तथा ना ही वर्तमान में है तथा ना ही कभी भविष्य में करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेटा का निर्णय दिनांक 16.01.2018 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र रथगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी-गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक